

प्रेषक,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 12 मई 2017

महोदय,

उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म <https://etender.up.nic.in> का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय को मा. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 02 मई 2017 को बाध्यकारी कर दिया गया है। तद्विषयक शासनादेश की प्रति संलग्न है।

2 सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि को ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु तैयारी के लिए तीन माह का समय है एवं तत्पश्चात ई-टेण्डरिंग प्रणाली अपनाया जाना अनिवार्य होगा, अतएव यह आवश्यक है कि उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें इस मध्य पूर्ण करा ली जायें। ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु विभागों/कार्यालयों के स्तर पर अपेक्षित कार्यकलाप, इस पत्र के साथ संलग्न **अनुलग्नक-क** पर प्रदर्शित हैं।


3 प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को नोडल एजेंसी नामित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में किसी जानकारी हेतु निगम से सम्पर्क किया जा सकता है।

4 अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को विभाग/कार्यालय/संगठन इत्यादि में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु उपरोक्त कार्यकलाप स-समय सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

- 1 शासनादेश की प्रति
- 2 अनुलग्नक 'क'


(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु विभागों/कार्यालयों के स्तर पर अपेक्षित कार्यकलाप

- सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि को, ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु तैयारी के लिए तीन माह का समय है तथा इस प्रयोजन हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें इस अवधि में पूर्ण करा ली जायें।
- तीन माह के पश्चात्, सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/ विकास प्राधिकरणों/ नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि द्वारा सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवं दर अनुबन्ध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली अपनाया जाना अनिवार्य होगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय को कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की स्थापना, ब्रॉड बैंड कनेक्शन (Min 512 KBPS) तथा वॉछनीय एण्टीवायरस सॉफ्टवेयर लोड कराना होगा। यद्यपि ई-टेण्डरिंग प्रणाली, Windows 8 युक्त कम्प्यूटर सिस्टम पर भी कार्य कर सकती है, किन्तु Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रयोजन हेतु सर्वोत्तम है। इसके साथ कम्प्यूटर सिस्टम पर JAVA 7 UPDATE 71, 32 अथवा 64 BIT स्थापित किया जाना होगा। यह सॉफ्टवेयर यूपीएलसी की वेबसाइट www.uplc.in के **Downloads Section** में भी उपलब्ध है तथा उसे डाउनलोड किया जा सकता है।
- शासन के सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि के स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना होगा एवं इसके लिए एक कार्यालय ज्ञाप सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा। **सम्बन्धित विभाग/ उपक्रम आदि के संगठनात्मक चार्ट की प्रति संलग्न करते हुए** उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति एन.आई.सी. लखनऊ तथा प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को पृष्ठोंकित किया जाना होगा।
- सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा अपना Class-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर, बनवाया जाना होगा। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि टेण्डर्स के Encryption हेतु Class-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक है।
- संगठनात्मक चार्ट, कार्यालय ज्ञाप की प्रति तथा डिजिटल सिग्नेचर लेकर, उस पर यूपीएलसी से एक फॉरवर्डिंग लेटर सहित एन.आई.सी. योजना भवन, लखनऊ में अपने विभागीय डिजिटल सिग्नेचर के रजिस्ट्रेशन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा स्वयं उपस्थित होना होगा।



- यदि सम्बन्धित विभाग/उपक्रम/संगठन इत्यादि के जनपद स्तर पर भी नोडल अधिकारी बनाये जाने की आवश्यकता हो तो उक्त नोडल अधिकारी एन.आई.सी. योजना भवन के अधिकारियों से वार्ता कर इसके लिए भी सुनिश्चित कर लेंगे।
- सम्बन्धित विभाग/उपक्रम/संगठन इत्यादि में जिस स्तर पर कय प्रक्रिया किया जाना अपेक्षित हो, उन स्तरों पर कय समिति के कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 4 सदस्यों हेतु भी उपरोक्तानुसार Class-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर बनवाये जाने की आवश्यकता होगी।
- नोडल अधिकारी/कय समिति के सदस्यों/वेन्डर्स के Class-II (Signing and Encryption) डिजिटल सिग्नेचर्स कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्नलिखित किसी भी सर्टिफाईंग अथॉरिटीज अथवा उनके रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से बनवाये जा सकते हैं:-
 - एन.आई.सी.-नई दिल्ली,
 - टीसीएस-मुम्बई,
 - सेफ-स्क्रिप्ट-चेन्नई,
 - आई.डी.आर.बी.टी.,
 - (एन) कोड सॉल्यूशन्स, ई-मुद्रा,
 - सी-डैक, कैप्रीकॉर्न आईडेन्टिटी सर्विसेज प्रा.लि.,
 - एन.एस.डी.एल. टेक्नोलोजी,
 - जी.एन.एफ.सी. अथवा
 - यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
शासकीय अधिकारियों के Class-II डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने तथा फार्म भरने की विधि यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.uplc.in के Downloads पृष्ठ पर उपलब्ध है।
- सम्बन्धित विभागों इत्यादि के राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी अथवा जनपद स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा कय समिति के सदस्यों को एन.आई.सी. के पोर्टल etender.up.nic.in पर रजिस्टर करना होगा। सम्बन्धित नोडल अधिकारी इसके लिए यूपीएलसी से सम्पर्क कर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- तत्पश्चात, प्रकाशित किये जाने वाले टेण्डर्स को चिन्हित कर उसके लिए ई-टेण्डर प्रणाली लागू करने हेतु सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा टेण्डर की शब्दावली और विषय-वस्तु में आवश्यक परिवर्तन/परिवर्द्धन करना अपेक्षित होगा। इस प्रयोजन हेतु एन.आई.सी. के पोर्टल etender.up.nic.in के Homepage का अवलोकन कर लिया जाये। Homepage पर Active Tenders को Click करने पर ई-टेण्डर पोर्टल पर सक्रिय समस्त टेण्डर्स की सूची (एक पृष्ठ पर 10 टेण्डर्स) प्रदर्शित हो जायेगी। वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 6000 से अधिक टेण्डर्स प्रकाशित हैं। प्रकाशित ई-टेण्डर्स का अवलोकन पोर्टल पर किया जा सकता है। उक्तानुसार, प्रकाशित टेण्डर्स का अवलोकन कर विभाग/कार्यालय इत्यादि से सम्बन्धित टेण्डर में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही सुगमता से की जा सकेगी।
- टेण्डर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं (Bidders), आपूर्तिकर्ताओं (Vendors), कॉन्ट्रैक्टर्स को ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण हेतु शीघ्र ही मण्डल तथा जनपद स्तर पर

समितियों गठित कर प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ई-टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी सभी जानकारी etender.up.nic.in पोर्टल पर "Information about DSCs", "Frequently Asked Questions", "Bidders Manual Kit", "Help for Contractors" तथा "Downloads" में दी गई हैं, जिनका अवलोकन कर लिया जाये। साथ ही विभागीय अधिकारियों को ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेण्डर का विकास, BOQ preparation टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, Tender Evaluation इत्यादि के प्रयोग का भी विस्तृत विवरण पोर्टल पर दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया से सम्बन्धित उपरोक्त कार्यों की जानकारी हेतु एक प्रस्तुतिकरण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.uplc.in के e-procurement पृष्ठ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त youtube पर GePNIC से सम्बन्धित फिल्म/प्रस्तुतिकरण भी डाउनलोड कर देखा जा सकता है।
- सभी विभागों के नोडल अधिकारियों/कय समिति के सदस्यों/निविदादाताओं हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय, मण्डल एवं जनपद स्तर पर शीघ्र ही कराई जा रही है। इसके सम्बन्ध में पृथक से सम्बन्धित विभागों/अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।
- वृहद कार्य-क्षेत्र वाले विभागों में प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले अधिकारियों की बड़ी संख्या के दृष्टिगत इन विभागों में 'मास्टर ट्रेनर्स' भी बनाये जायें, तथा उनके द्वारा अपने विभाग के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाये।
- समस्त विभागों के स्तर पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाये तथा विभागों से सम्बन्धित वेण्डर्स/आपूर्तिकर्ताओं को शासन के निर्णय से अवगत करा दिया जाये तथा भविष्य में ई-टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने के लिए उन्हें डिजिटल सिग्नेचर्स, पंजीयन इत्यादि औपचारिकतायें पूर्ण कराने हेतु निर्देशित कर दिया जाये।



प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

आईटी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 12 मई 2017

विषय- शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किया जाना ।

महोदय/ महोदया,

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, मुद्रण एवं लेखन विभाग, उद्योग निदेशालय, विश्व बैंक पोषित/वाहय सहायतित सभी परियोजनाओं में पायलट परियोजना के रूप में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई थी। कतिपय अन्य विभागों में भी ई-टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डरिंग प्लेटफार्म <http://etender.up.nic.in> का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबंध (Running contract) एवं दर अनुबंध (Rate contract) हेतु ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

3- प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) नोडल एजेन्सी होगी तथा ई-टेण्डरिंग करने वाले विभागों/उपक्रमों इत्यादि को एन.आई.सी., लखनऊ तथा यूपीएलसी द्वारा आवश्यकतानुसार हैण्डहोल्डिंग सहायता प्रदान की जायेगी। ई-टेण्डरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हार्डवेयर उपकरण इत्यादि एन.आई.सी. को यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार अन्य हार्डवेयर उपकरण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली में नियमों एवं प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अपितु वर्तमान नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ही केवल इलेक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करते हुए टेण्डरिंग की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेण्ट आफ गुड्स) एवं तत्सम्बन्धी अन्य नियम उक्त श्रेणियों की ई-टेण्डरिंग में यथावत् लागू रहेंगे एवं इनमें प्रचलित पेपर ट्रांजेक्शन के स्थान पर मात्र इलेक्ट्रानिक माध्यम का प्रयोग करते हुए निविदा प्रक्रिया, ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा निम्नवत् सम्पादित की जायेगी:-

- जिन निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबंध (Running contract) एवं दर अनुबंध (Rate contract) हेतु निविदा प्रक्रिया मैनुअल विधि से सम्पादित की जाती है, उन निविदाओं को ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से कराया जाना प्रत्येक विभाग के लिए अनिवार्य होगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा- ई-रजिस्ट्रेशन, ई-कोडिंग, टेण्डर क्रियेशन, टेण्डर प्रकाशन, टेण्डर परचेज, सबमिशन, बिड ओपनिंग आदि समस्त कार्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जायेंगे।
- सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के लिए अलग-अलग ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करने के स्थान पर सभी विभागों द्वारा एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म <http://etender.up.nic.in> पर ई-प्रोक्योरमेण्ट किया जायेगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट के बिड्स एवं डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा तथा अनुरक्षण का दायित्व एन.आई.सी. का होगा।

5- टेण्डर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं (बिडर्स), आपूर्तिकर्ताओं (वेण्डर्स), कान्ट्रैक्टर्स को ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। यूपीएलसी द्वारा बिडर्स/ कान्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स को उनके कम्प्यूटर/लैपटाप पर ई-टेण्डर सम्बन्धित सॉफ्टवेयर अपलोड कराकर ई-टेण्डर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हेतु तैयार किया जाना, टेण्डर डाउनलोड, टेण्डर सबमिशन, मॉक ई-टेण्डर सबमिशन द्वारा ई-टेण्डर प्रणाली पर कार्य करना इत्यादि के प्रयोग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेण्डर का विकास, बीओक्यू (बिल ऑफ क्वान्टिटी) तैयार किया जाना, टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, टेण्डर ईवैल्यूवेशन इत्यादि का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

6- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए टेण्डर करने वाले विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन शुल्क, निविदा शुल्क एवं वेण्डर/कान्ट्रैक्टर द्वारा देय पंजीकरण शुल्क निम्न प्रकार देय होगा:-

- प्रत्येक विभाग द्वारा केवल एक बार रु0 5000.00 +अनुमन्य सर्विस टैक्स, कस्टमाइजेशन शुल्क के रूप में नोडल संस्था- यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।
- निविदा शुल्क के रूप में विभाग द्वारा प्रत्येक टेण्डर हेतु, टेण्डर आदेश मूल्य का 0.01 प्रतिशत - न्यूनतम रु 250.00 तथा अधिकतम रु 5000.00 (सर्विस टैक्स सहित) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।
- इस प्रणाली के अन्तर्गत बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स द्वारा प्रथम बार रु 6000.00 (सर्विस टैक्स सहित) शुल्क, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को देकर, प्रथमतः उपलब्ध डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके आधार पर वे दो वर्ष तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के श्रेणीवार अनुमन्यता के आधार पर सभी टेण्डर में भाग ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु शुल्क मात्र रु 3000.00 (देय कर अतिरिक्त) प्रति दो वर्ष हेतु मान्य होगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/ कान्ट्रैक्टर्स/ वेण्डर्स तथा विभागीय अधिकारियों एवं टेण्डर समिति के सदस्यों को रु 1708.00 (समस्त करों सहित) प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क जमाकर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने होंगे। डिजिटल सिग्नेचर दो वर्ष के लिए वैध होंगे। ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग हेतु आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर विभागीय अधिकारियों/निविदादाताओं द्वारा कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा अधिकृत एन.आई.सी- नई दिल्ली, टीसीएस-मुम्बई, सेफ-स्क्रिप्ट-चेन्नई, आई.डी.आर.बी.टी., (एन) कोड सॉल्यूशन्स, ई-मुद्रा, सी-डैक, कैप्रीकॉर्न आईडेन्टिटी सर्विसेज प्रा.लि., एन.एस.डी.एल. टेक्नोलोजी, जी.एन.एफ.सी. आदि सर्टिफाईंग अथॉरिटीज अथवा उनके रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

7- उक्त कार्यो हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को शासन से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को मात्र उक्त कार्यो के सापेक्ष पंजीकरण शुल्क, कस्टमाइजेशन शुल्क एवं निविदा शुल्क उक्त सुविधाओं के एवज में उपलब्ध होगी।

8- प्रत्येक विभाग द्वारा ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग किये जाने हेतु विभाग में आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की स्थापना, न्यूनतम 512 केबीपीएस ब्रॉड बैंड कनेक्शन तथा वॉल्यूमीय एण्टीवायरस सॉफ्टवेयर लोड कराना होगा। सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि द्वारा ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें तीन माह में पूर्ण करा ली जायें। निविदा शुल्क (Tender fees) के भुगतान तथा धरोहर राशि (Earnest Money) के भुगतान एवं वापसी की प्रक्रिया भी भौतिक रूप (Physical Form) में न करके ऑनलाईन व्यवस्था ही सुनिश्चित की जाये।


9- सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित करके ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाये।

10- यदि विभाग द्वारा ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने में कठिनाई अनुभव की जाती है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा इस प्रणाली को लागू करने से छूट प्राप्त करने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के माध्यम से उच्चादेश प्राप्त करने होंगे।

11- जिन विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/स्वायत्तशासी निकायों तथा संस्थाओं द्वारा अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली आकस्मिकता/तात्कालिक प्राथमिकता के दृष्टिगत जनहित में पूर्व में टेण्डर संबंधित निर्देश/ शासनादेश निर्गत किये गये हैं, उन सभी पर, उस सीमा तक, इस ई-टेण्डर संबंधित शासनादेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12- प्रदेश में एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों तथा समस्त ग्राम पंचायतों में ई-टेण्डरिंग संबंधी आवश्यक अवस्थापना/आधारभूत सुविधायें मानव संसाधन, तकनीकी ज्ञान इत्यादि की व्यवस्था होने के उपरान्त ही, ई-टेण्डर संबंधी शासनादेश को प्रभावी करने हेतु प्रशासकीय विभाग के स्तर से तदनुसार निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-1067(1)/78-2-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- निदेशक उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
- 5- निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0।
- 6- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0।
- 7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
- 9- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 10- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 11- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ।
- 12- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, यूपीडेस्को, लखनऊ।
- 13- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 14- महालेखाकार, लेखा परीक्षा-प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 15- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है